

कार्यालय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर

क्र.अप्रनि / पक्षे / 01 / स्था-3 / 09 / 76

इन्दौर/दिनांक

F8 FEB 2021

संशोधन आदेश

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर द्वारा जो आदेश क्रमांक प्रनि/पक्षे/स्था-3/94 दि. 29. 01.2019 जारी किया गया था, उसके पैरा क्रमांक (इ)

"(इ) दिनांक 01.06.2005 अथवा उसके पश्चात तथा दिनांक 16.01.18 के पूर्व कंपनी द्वारा नियुक्त ऐसे कार्मिक जिनकी सेवानिवृत्ति/सेवा में रहते हुये मृत्यु हुई है, उन्हें अथवा उनके आश्रितो को उपादान का भुगतान उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के सुसंगत प्रावधानों के तहत पात्रता अनुसार किया जावें।"

को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है-

"(इ) दिनांक 01.06.2005 अथवा उसके पश्चात तथा दिनांक 16.01.2018 के पूर्व कंपनी द्वारा नियुक्त ऐसे कार्मिक जिनकी उपर्युक्त परिपत्र जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 16.01.18 के पूर्व सेवानिवृत्ति/सेवा में रहते मृत्यु हुई है, उन्हें अथवा उनके आश्रितों को उपादान का भुगतान उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के सुसंगत प्रावधानों के तहत पात्रता अनुसार किया जावें।"

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवंप्रशा)

क्र प्रनि/पक्षे/01/स्था-3/2374 प्रतिलिपी:-

इंदौर दिनांक

- 1 निदेशक (वाणिज्य), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर । 8 FEB 2021
- मुख्य अभियंता (मा.सं./प्रशा) एमपीपीटीसीएल, जबलपुर।
 मुख्य अभियंता (मा.सं./प्रशा) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर।
- 4 मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवंप्रशा) म.प्र.पॉवर मेनेजमेंट कं.लि., /म.प्र.पू.क्षे.कं.लि. /म.प्र.म.क्षे. कं.लि., जबलपुर/भोपाल।
- 5 कार्यपालक निदेशक (इं.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 6' मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., उज्जैन ।
- 7 मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 8 अधीक्षण यंत्री(सूप्रौ) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.,इन्दौर।उक्त आदेश कंपनी की वेबसाइट पर प्रसारित करें।
- 9 अधीक्षण यंत्री (शहर/संचाःसंधा/सिविल) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.
- 10 संयुक्त सचिव-दो / चार, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
- 11 संयुक्त सचिव-तीन, केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ, कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
- 12 वरिष्ठ / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.,
- 13 निज सचिव, प्रबंध निदेशक, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।

संयुक्त सचिव-।